



रिक्ति परिपत्र

सं. ए/34047/एम-4/मुप्रअ/भर्ती-1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

कमरा सं. 172, ई- ब्लॉक  
दारा शुकोह, नई दिल्ली- 110011  
दिनांक : 16 मई 2019

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग  
सभी राज्य सरकारों एवं संघराज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव

**विषय:** रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय- रक्षा मंत्रालय (वायु सेना) में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है), प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन आधार पर 'मोडेलर इंटरप्रिटर' के पांच पदों को भरा जाना

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय - रक्षा मंत्रालय (वायु सेना) में निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है), प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) आधार पर वेतन मेटिक्स में स्तर-7 में **मोडेलर इंटरप्रिटर** (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पांच पदों को भरा जाना है :-

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेटिक्स में स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर या पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :-

**आवश्यक :**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या कम्प्यूटर विज्ञान या भूविज्ञान या भूगोल विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिकी विषय में बैचलर डिग्री।

**अनुभव :**

दूरस्थ संवेदन या हवाई सर्वेक्षण या मानचित्र या अंकीय आकृति प्रसंस्करण या भौगोलिक सूचना पद्धति के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो।

**प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)**

सशस्त्र बल में कनिष्ठ कमिशन अधिकारी रैंक के कार्मिक, वायु सेना के कनिष्ठ वारंट अधिकारी, वारंट अधिकारी और मास्टर वारंट अधिकारी एवं सेना तथा नौसेना के समतुल्य कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है (सिविल पद के संदर्भ में पुनर्नियोजन अधिवर्षिता की आयु तक होगा)।

**2. कार्य रूपरेखा :**

- (I) दूरस्थ संवेदन एवं अंकीय आकृति प्रसंस्करण ।
- (II) भौगोलिक सूचना पद्धति ।
- (III) डाटा बेस प्रबंधन एवं मानचित्र प्रतिचित्रण ।

3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(Pay II) दिनांक 17-6-2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी ।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान



बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।


5. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा पिछले पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों /ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो), सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए । देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/ए पी ए आर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैंडर क्लियरेंस), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है ।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में प्रचालित करें ।

7. जीवनवृत्त का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट [www.caomod.gov.in](http://www.caomod.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है ।

टिप्पणी :- पद के लिए एक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

  
(जेड एस कोइरंग)

उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती-1 एवं 3  
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिलिपि :-

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)  
वा से मु/पी सी- 1  
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (नौसेना)/प्रशा. निदे.  
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग  
संयुक्त सचिव(स्था/मुप्रअ) कार्यालय के सभी अनुभाग  
मु प्र अ/का- 2  
मुप्रअ/ई डी पी

